निर्णय व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या :160/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

मांगू पुत्र केशा जाति जाट निवासी ढाणी भल्डों की तन ग्राम समरपुरा, हाल तहसील चौमू जिला जयपुर, पोस्ट बांसा कुशलपुरा, वाया सामोद, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री दिलीप सिंह राठौड आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर ग्रामीण ।
2. बनवारी लाल पुत्र स्व. श्री राधेश्याम
3. संतोष कुमार पुत्र स्व. श्री राधेश्याम
4. रामस्वरूप पुत्र स्व. श्री राधेश्याम
5. रमेश चन्द पुत्र स्व. श्री राधेश्याम

   समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासियान ग्राम समरपुरा बांसा, तहसील चौमू ।

   जयनारायण पुत्र स्व. श्री भैरू राम
6. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. श्री भैरू राम

   समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासियान ग्राम (बांसा) कुशलपुरा तहसील चौमू ।
7. प्रहलाद पुत्र स्व. श्री श्रवण
8. कैलाश पुत्र स्व. श्री श्रवण
9. प्रहलाद पुत्र स्व. श्री श्रवण
10. श्रीमती नाथी देवी पत्नी स्व. श्री श्रवण
11. श्रीमती अनोखी देवी पुत्री स्व. श्री श्रवण

    समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासियान ग्राम समरपुरा, तहसील चौमू।
12. हनुमान पुत्र स्व. भंवरी
13. गिरधारी पुत्र स्व. भंवरी
14. मुरारी पुत्र स्व. भंवरी

    समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासियान ग्राम समरपुरा, तहसील चौमू, जिला
15. प्रेम देवी पुत्री स्व. श्री भंवरी पत्नी किशोर जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम डिगाडिया, तहसील गाजी जिला अलवर ।
16. रूकमा देवी पुत्री स्व. भंवरी पत्नी सूरजमल जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बांसा कुशलपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर ग्रामीण।
17. हंसा देवी पुत्री भंवरी पत्नी बाबूलाल जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सुल्तानपुरा बांसा, तहसील चौमू जिला जयपुर ग्रामीण।
18. कोशल्या देवी पत्नी स्व. गोपाल पुत्री भंवरी जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम समरपुरा, तहसील चौमू जिला जयपुर ग्रामीण ।

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

19. शंकरलाल पुत्र स्व. गोपाल जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम विजयसिंहपुरा, तहसील चौमू जिला जयपुर ग्रामीण।
20. संतोष देवी पुत्री स्व. गोपाल पत्नी अर्जुन लाल जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम विजयसिंहपुरा, तहसील चौमू जिला जयपुर ग्रामीण ।
21. काली देवी पुत्री स्व. गोपाल पत्नी कैलाश जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बिलोची, तहसील आमेर, जिला जयपुर ग्रामीण।
22. बल्ला देवी पुत्री स्व. श्री गोपाल पत्नी गिर्राज जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम पातलवास, तहसील आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण।
23. नरसिंग लाल पुत्र स्व. प्रभाती देवी
24. प्रभू पुत्र स्व. प्रभाती देवी
25. किशोरी देवी पुत्री स्व. प्रभाती देवी
26. छोटी देवी पुत्री स्व. प्रभाती देवी
27. हंसा देवी पुत्री स्व. प्रभाती देवी
28. सुरेश पुत्र स्व. कमली देवी
29. गोरीलाल पुत्र स्व. कमली देवी
30. सुमन देवी पुत्री स्व. कमली देवी

समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम कांट सांगावाला, तहसील आमेर, जिला जयपुर

31. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी जगदीश प्रसाद निवासी प्रेम नगर, बूरथल, तहसील आमेर ।

अप्रार्थी/वादीगण

32. गुल्ला पुत्र कुशला
33. बोदू पुत्र भूरा

समस्त जाति जाट निवासी ढाणी भल्डों की तन ग्राम समरपुरा हाल तहसील चौमू जिला जयपुर, पोस्ट बांसा कुशलपुरा वाया सामोद, जिला जयपुर ।

प्रोफार्मा अप्रार्थीगण

मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी चौमू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 06/2019 ब उनवानी भैरू बनाम मांगू व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री रामकिशोर डागर अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री सुमन शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी 2, 3, 4, 6, व 7 की ओर से ।

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय दिनांक 21.10.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी चौमू के समक्ष प्रकरण संख्या 06/2019 व बनवारी मैरू बनाम मांगू व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी चौमू से बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीगण 2, 3, 4, 6 व 7 की ओर से अधिवक्ता श्री सुमित शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू द्वारा दौराने विचारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी को दिनांक 15.05.2024 के आदेश के जरिये खारिज फरमा दिया गया तथा उक्त दिनांक को ही प्रार्थी को पत्रावली पर अन्तिम बहस करने की हिदायत दी एवं कहा कि अप्रार्थी संख्या 1 पीठासीन अधिकारी को उक्त पत्रावली का अतिशीघ्र निस्तारण कर दावा डिक्री करना है, परन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु समय चाहा गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बड़ी मुश्किल से बहस हेतु समय दिया गया । जिस पर प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के कृत्य पर संदेह हुआ फिर भी प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश दिनांक 15.05.2024 की नकल प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त आदेश की निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई जो कि राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दर्ज किये जाने व निगरानी मांगू बनाम बनवारीलाल प्रकरण संख्या 2024/6316 दिनांक 29.07.2024 को दर्ज कर ली गई । जिसकी सूचना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.07.2024 को प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दी गई एवं लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15.05.2024 के खिलाफ निगरानी माननीय राजस्व मण्डल के समुख प्रस्तुत कर दी गई जो माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दर्ज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का मामला साम्पत्तिक अधिकारों एवं अचल सम्पत्ति से सम्बंधित होने के कारण पत्रावली को वास्ते बहस तारीख मुकर्रर करने एवं प्रार्थी को बहस हेतु अवसर दिये जाने वास्ते प्रस्तुत किया गया, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के रीडर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र लेने से इंनकार कर दिया एवं कहा कि मुझे साहब के निर्देश है कि इस पत्रावली में अतिशीघ्र आदेश करना है, प्रतिवादी का कोई प्रार्थना पत्र मत लेना। जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 पीठासीन अधिकारी को उक्त प्रार्थना पत्र बाबत बहस में समय दिये जाने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि निगरानी के लम्बित रहने तक पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं की जावे एवं प्रार्थी को बहस हेतु समय दिये जाने की प्रार्थना पर अप्रार्थी संख्या 1 नाराज हो गये तथा प्रार्थी अधिवक्ता को बहस करने हेतु आदेशित किया । जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

के पीठासीन अधिकारी से मामला अचल सम्पत्ति संबधित होने के कारण अवसर दिये जाने की बार–बार प्रार्थना पर अप्रार्थी संख्या 1 पीठासीन अधिकारी द्वारा अवैध एवं गलत रूप से प्रार्थी पर 500/–रूपये कॉस्ट अधिरोपित कर दी गई । प्रार्थी एवं उसके अधिवक्ता को आयन्दा बहस नहीं करने पर वाद को डिकी करने की हिदायत दी । अप्रार्थीगण जो उस समय न्यायालय में मौजूद थे, द्वारा प्रार्थी को धमकी दी गई कि तुम कुछ भी कर लो हमारी अप्रार्थी संख्या 1 तक अच्छी पहुंच है और अप्रार्थी संख्या 1 से हम इस मुकदमें की डिक्री करवा कर रहेंगे । अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त कृत्य अविधिक प्रकिया अपनाने व अपने पद का गलत व अनैतिक प्रयोग कर विरोधी पक्षकार से सांठगांठ करते हुये नाजायज व अनैतिक तथा बिना न्यायिक प्रकिया अपनाते हुये अप्रार्थी को लाभ देने को परिलक्षित करता है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने काल्पनिक एवं मिथ्या आरोपों के साथ यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रकरण वर्ष 1981 ये लम्बित है। प्रार्थी प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देना चाहता है इस कारण लम्बी लम्बी तारीख लेने की कोशिश करता रहता है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी से अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत किये जाने का कथन किया है, किन्तु किसी प्रकार का स्थगन होना जाहिर नहीं किया। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम वसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)